पंजीकृत

प्रेषक,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः– 230 / सा0–1 / एक्स–120(4) / टीकाकरण / 2016–17, दिनांक 9 जुलाई, 2016

विषयः– **पशुरोग नियंत्रण योजना (60 प्रतिशत के0पो0) योजनान्तर्गत गलाघोटू टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु दिशा–निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है पशुरोग. नियंत्रण योजना(60 प्रतिशत के0पो0)(एस्केड) भारत सरकार की 60 प्रतिशत सहायता से संचालित की जा रही है। उक्त योजनान्तर्गत पशुओं में विभिन्न रोगों के रोक–थाम हेतु विविध प्रकार के टीकाकरण का कार्य किया जाता है। कार्यक्रम को सुचारूरूप से संचालित किये जाने हेतु उक्त योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन अलग से किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा पशुओं में शत–प्रतिशत टीकाकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिससे प्रदेश के पशुओं में रोगों का निदान हो सके । प्रश्नगत योजनान्तर्गत टीकाकरण के सफल संचालन हेतु निम्न निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:–

1– वर्तमान में वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है। सम्भवतः कहीं–कहीं बाढ़ एंव जल प्लावन की स्थिति बन रही है। ऐसी परिस्थिति में पशुओं को रोगमुक्त रखने के उद्देश्य से वृहद टीकाकरण का कार्य तत्काल किया जाए।

2– जिन जनपदों में पूर्व में बाढ़ / जल पलावन की स्थिति रही हो, उन जनपदों के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी इन क्षेत्रों के पशुओं में प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य का शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करायें।

3– समस्त जनपदों में गलाघोटू टीकाकरण कार्यक्रम प्रत्येक दशा में 10–08–2016 तक रोस्टर बना कर, टीमों द्वारा करवाना सुनिश्चित किया जाय।

4– टीकाकरण करने से पूर्व वैक्सीन के भण्डारण हेतु कोल्ड चेन की व्यवस्था बनाये रखें जिससे वैक्सीन की गुणवत्ता बनी रहे। कोल्ड चेन अन्तर्गत जनपद स्तर पर सम्पूर्ण वैक्सीन कोल्ड कैबिनेट / आइसलाइनर्स में परिरक्षित की जाय तदोपरान्त पर्याप्त कोल्ड चेन में ब्लाक स्तर पर पहुँचाया जाये।

5– 43–सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि से केन्द्रीय स्तर पर वैक्सीन क्रय हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। इस मद में आप द्वारा लाजिस्टिक, कोल्डचेन की व्यवस्था आदि हेतु व्यय संलग्न सारिणी में अंकित धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा।

6– योजनान्तर्गत 42–अन्य व्यय में आवंटित धनराशि से पैरावेटों का मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

7– प्रत्येक टीम द्वारा प्रतिदिन टीकाकरण पंजिका में टीकाकरण का विस्तृत विवरण अंकित किया जाये एवं टीकाकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया जाय।

8— टीकाकरण के कार्य में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जिस ग्राम का टीकाकरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाय उस ग्राम को पूर्णरूप से संतृप्त करने के पश्चात ही दूसरे ग्राम में टीकाकरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाय।

9— महिषवंशीय पशुओं का टीकाकरण शत प्रतिशत (8 माह से ऊपर गर्भित एवं 3 माह से छोटे बच्चों को छोड़कर) सुनिश्चित किया जाय तथा गोवंशीय पशुओं में दुधारू पशुओं, बछियों एवं हीफर आदि का टीकाकरण पूर्णरूप से किया जाय।

10— वरियता के रूप में उन ग्रामों में टीकाकरण पहले किया जाय जो बाढ़ प्रभावित/जलपलावित हो, अथवा जहां बाढ़ आने की संभावना अधिक हो।

11— निदेशालय स्तर पर गलाघोटू टीकाकरण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डा0यू0एल0गुप्ता, उपनिदेशक, (टी0बी0 एवं ब्रुसेल्ला) को प्रतिदिन की प्रगति की सूचना उनके मो0नं0—9415758723 पर अवश्यमेव उपलब्ध करायें।

<u>संलग्नक—उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(डा0ए0एन0सिंह)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

संख्याः— /सा0—1/एक्स—120(4)/टीकाकरण/2016—17, दिनांक जुलाई, 2016

1—प्रतिलिपि समस्त अपर निदेशक,ग्रेड—2 पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि उपरोक्त टीकाकरण कार्यक्रम का अनुश्रवण सतत् रूप से करते रहें।

2—प्रमुख सचिव पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0ए0एन0सिंह)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

संलग्न सारिणी

धनराशि (रू0 हजार में)

क्र0 सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	एच0एस0टीकाकरण हेतु लाजिस्टिक,कोल्डचेन की व्यवस्था आदि हेतु वर्तमान में व्यय की जाने वाली धनराशि
1	मेरठ	1—मेरठ	86
		2—बागपत	55
		3—गाजियाबाद	38
		4—हापुड़	39
		5—गौतमबुद्ध नगर	36
		6—बुलन्दशहर	158
2	सहारनपुर	7—सहारनपुर	92
		8—मुजफ्फरनगर	79
		9—शामली	41
3	आगरा	10—आगरा	121
		11—मथुरा	106
		12—मैनपुरी	59
		13—फिरोजाबाद	67
4	अलीगढ़	14—अलीगढ़	142
		15—हाथरस	56
		16—एटा	86
		17—कासगंज	97
5	मुरादाबाद	18—मुरादाबाद	74
		19—सम्भल	79
		20—अमरोहा	86
		21—रामपुर	62
		22—बिजनौर	99
6	बरेली	23—बरेली	93
		24—शाहजहांपुर	78
		25—पीलीभीत	42
		26—बदायूँ	111
7	कानपुर	27—कानपुर नगर	58
		28—कानपुर देहात	59
		29—फर्रूखाबाद	42
		30—कन्नौज	47
		31—इटावा	43
		32—औरैया	37
8	लखनऊ	33—लखनऊ	53
		34—लखीमपुर खीरी	112
		35—रायबरेली	69
		36—सीतापुर	93

		37—उन्नाव	87
		38—हरदोई	111
9	झांसी	39—झांसी	55
		40—जालौन	47
		41—ललितपुर	65
10	चित्रकूट धाम	42—चित्रकूट	54
		43—बाँदा	66
		44—हमीरपुर	44
		45—महोबा	33
11	इलाहाबाद	46—इलाहाबाद	121
		47—कौशाम्बी	38
		48—प्रतापगढ़	70
		49—फतेहपुर	92
12	वाराणसी	50—वाराणसी	52
		51—चन्दौली	41
		52—गाजीपुर	84
		53—जौनपुर	90
13	मिर्जापुर	54—मिर्जापुर	62
		55—भदोही	33
		56—सोनभद्र	63
14	फैजाबाद	57—फैजाबाद	63
		58—अम्बेडकर नगर	51
		59—बाराबंकी	77
		60—सुल्तानपुर	62
		61—अमेठी	58
15	देवीपाटन	62—गोण्डा	82
		63—बलरामपुर	40
		64—बहराइच	84
		65—श्रावस्ती	31
16	आजमगढ़	66—आजमगढ़	92
		67—मऊ	33
		68—बलिया	48
17	गोरखपुर	69—गोरखपुर	54
		70—महराजगंज	27
		71—देवरिया	40
		72—कुशीनगर	43
18	बस्ती	73—बस्ती	50
		74—सन्त कबीर नगर	22
		75—सिद्धार्थ नगर	40
		राज्य योग	5000

(रूपये पचास लाख मात्र)